

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

अंगारघाट थाना काण्ड सं० 70/19, कम्प्यूटर निबंधन सं० 972/19

02.01.20

आवेदक 1. उमेश सहनी , जो अंगारघाट थाना काण्ड सं० 70/19, धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन साथ वकालतनामा एवं मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना के लीगल सर्विस कमिटी में मो० दस हजार रू० जमा कर उसका रसीद सं० 1165, दि० 27.12.19, के दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान वि० लोक अभि० को भी दी गयी। जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रविशंकर जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया हैं उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसका जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि०मिस० 69621/19 में पारित आदेश दि० 21.11.19 से हो चुका है। अतः उसे बंध-पत्र दाखिल करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि०मिस० 69621/19 में पारित आदेश दिनांक 21.11.19 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त को मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना के लीगल सर्विस कमिटी में मो० दस हजार रू० जमा करने पर, मो० दस हजार रू० के बंध-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर, दं०प्र०सं० की धारा-438(2) में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त करने का आदेश है।

अतः उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त को बंध-पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

प्र०अपर सत्र न्या०-2

सह वि० न्या०उत्पाद